ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

26 December 2024

पैंगोलिन का अवैध शिकार

सन्दर्भ: हाल ही में तेलंगाना में पैंगोलिन के अवैध शिकार में तीव्र वृद्धि देखी गई है और पिछले चार वर्षों में दर्ज किए गए सात मामलों में से तीन इसी अवधि के दौरान हुए हैं। इस वृद्धि ने अवैध पैंगोलिन तस्करी नेटवर्क के पुन: सक्रिय होने की आशंकाएँ उत्पन्न कर दी हैं, विशेषकर ये नेटवर्क कमजोर आदिवासी युवाओं का शोषण करते हैं।

पैंगोलिन के बारे में:

- पैंगोलिन बख्तरबंद शल्क वाले रात्रिचर स्तनधारी जीव होते हैं, जोकि उन्हें अवैध शिकार के लिए अत्यधिक संवेदनशील बना देते हैं। उनके शल्क, जोकि विदेशी फैशन आइटम और पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन में अत्यधिक मांग में हैं। उनके मांस को एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है, जिससे अवैध व्यापार को बढ़ावा मिलता है।

संरक्षण में पैंगोलिन की स्थिति:

- भारतीय पैंगोलिन (Manis Crassicaudata) को आईयूसीएन द्वारा 'संवेदनशील प्रजाति' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 के तहत पूरी तरह से संरक्षित है। इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सीआईटीईएस परिशिष्ट । के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

पैंगोलिन तस्करी से निपटने में चुनौतियाँ:

- **खुफिया नेटवर्क का अभाव:** तस्करी गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें समाप्त करने के लिए प्रभावी खुफिया तंत्र की कमी है। स्थानीय शिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अक्सर जांच ठप हो जाती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की पहचान करना अत्यधिक कठिन होता है।
- **प्रवर्तन कार्यवाही जटिल:** पैंगोलिन की तस्करी में शिकारी, बिचौलिए और अंतरराष्ट्रीय खरीदार शामिल होते हैं। जब स्थानीय शिकारी पकड़े जाते हैं, तो विदेशी खरीदारों तक पहुँचने में समस्या उत्पन्न होती है, जिससे प्रवर्तन कार्यवाही जटिल हो जाती है।
- **जनजातीय समुदायों की भेद्यता:** जनजातीय समुदाय अवैध शिकार से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान से अनभिज्ञ होते हैं और तस्कर उन्हें त्वरित वित्तीय लाभ का लालच देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं।
- **सीमित जागरूकता:** स्थानीय आबादी में पैंगोलिन के अवैध शिकार के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण तस्करों के लिए कमजोर व्यक्तियों का शोषण करना आसान हो जाता है।

समस्या का समाधान:

- **जागरूकता स्थापना:** अधिकारियों द्वारा स्थानीय समुदायों को अवैध शिकार के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है, ताकि संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- **टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना:** जनजातीय समुदायों को इकोटूरिज्म में शामिल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, अमराबाद में 250 चेंचू आदिवासियों को प्रकृतिवादी और गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।
- **वैकल्पिक आय उपलब्ध कराना:** जूट के बैग बनाने जैसे कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अवैध शिकार पर निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक आजीविका प्रदान की जा रही है।
- **कानून प्रवर्तन को मजबूत करना:** पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय और सतर्कता बढ़ाकर शिकारियों और तस्करों के लिए अवैध गतिविधियाँ संचालित करना अधिक कठिन किया जा रहा है, ताकि उन्हें पकड़ने और दंडित करने की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके।
- **खुफिया नेटवर्क में सुधार:** अधिकारियों द्वारा तस्करी की गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें बाधित करने के लिए बेहतर खुफिया नेटवर्क विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।

भारत में घरेलू प्रवास में कमी

सन्दर्भ: हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि भारत में घरेलू प्रवासियों की संख्या 2011 और 2023 के मध्य लगभग 12% घट गई है। 2011 में प्रवासियों की संख्या 45.58 करोड़ थी, जबकि 2023 में यह घटकर 40.21 करोड़ होने का अनुमान है। यह गिरावट देश भर में प्रवासन की धीमी होती प्रवृत्ति को दर्शाती है।

घरेलू प्रवास में गिरावट के कारण:

- घरेलू प्रवास में कमी के कई कारण हैं, जिनमें बेहतर आर्थिक अवसर और उन क्षेत्रों में बेहतर सेवाएँ शामिल हैं जोकि पारंपरिक रूप से

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

प्रवास के स्रोत रहे हैं। प्रमुख सुधारों में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी में सुधार शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप लोगों को अवसरों की तलाश में बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता कम हुई है।

वे राज्य जिनमें प्रवासियों की प्रतिशत हिस्सेदारी घटी:

- रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में घरेलू प्रवासियों की संख्या में कमी देखी गई है। इन राज्यों में प्रवास करने वालों का प्रतिशत घटा है, जोकि अन्य क्षेत्रों में बेहतर अवसरों और स्थानीय आर्थिक स्थितियों में सुधार के कारण हुआ है।

जिला स्तर पर प्रवासन पैटर्न:

- रिपोर्ट में जिला स्तर पर प्रवास के प्रमुख मूल और गंतव्य जिलों की पहचान की गई है। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहर प्रवासियों के लिए प्रमुख गंतव्य हैं, जबकि वलसाड, चित्तूर, पश्चिम बर्धमान और आगरा कुछ प्रमुख मूल जिले हैं। प्रवासन सामान्यत: कम दूरी पर होता है और शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रवासियों को आकर्षित किया जाता है।

प्रवासियों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाले राज्य:

- रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक में आने वाले प्रवासियों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार की रैंकिंग में गिरावट देखी गई है। यह बदलाव इन क्षेत्रों में बदलते प्रवासन रुझानों और आर्थिक विकास को दर्शाता है, जिससे देश भर में प्रवास के नए पैटर्न सामने आ रहे हैं।

ईएसी-पीएम के बारे में:

- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री, को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह प्रदान करता है।
- इसकी भूमिका सलाहकार की है और यह नीति निर्माण में मार्गदर्शन करने के लिए विशेषज्ञ आर्थिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। ईएसी-पीएम के मुख्य कार्यों में शामिल हैं:
  - » प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित आर्थिक और संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करना।
  - » व्यापक आर्थिक मामलों पर सलाह देना, चाहे वह प्रधानमंत्री द्वारा अनुरोध किया गया हो या परिषद की अपनी पहल पर।
  - » प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों पर विचार करना।
  - » ईएसी-पीएम की भूमिका सलाहकार की है, जिसका अर्थ है कि इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

ईएसी-पीएम की संरचना:

- ईएसी-पीएम का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है और इसके सदस्य प्रख्यात अर्थशास्त्री होते हैं। परिषद को अधिकारियों और प्रशासकों की एक टीम द्वारा समर्थन दिया जाता है। सदस्यों और कर्मचारियों की सटीक संख्या भिन्न हो सकती है क्योंकि परिषद को अक्सर किसी भी समय आवश्यक प्राथमिकताओं और आर्थिक विशेषज्ञता के आधार पर अलग-अलग सदस्यों के साथ पुनर्गठित किया जाता है।

ब्रू पुनर्वास

संदर्भ: हाल ही में केंद्र सरकार ने ब्रू समुदाय को त्रिपुरा के 11 गांवों में बसाने के लिए 900 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है, जोकि विस्थापित समुदाय के पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य ब्रू (रियांग) समुदाय को स्थायी आवास प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है, जोकि मिजोरम में 27 वर्ष पूर्व जातीय संघर्ष का शिकार हुए थे।

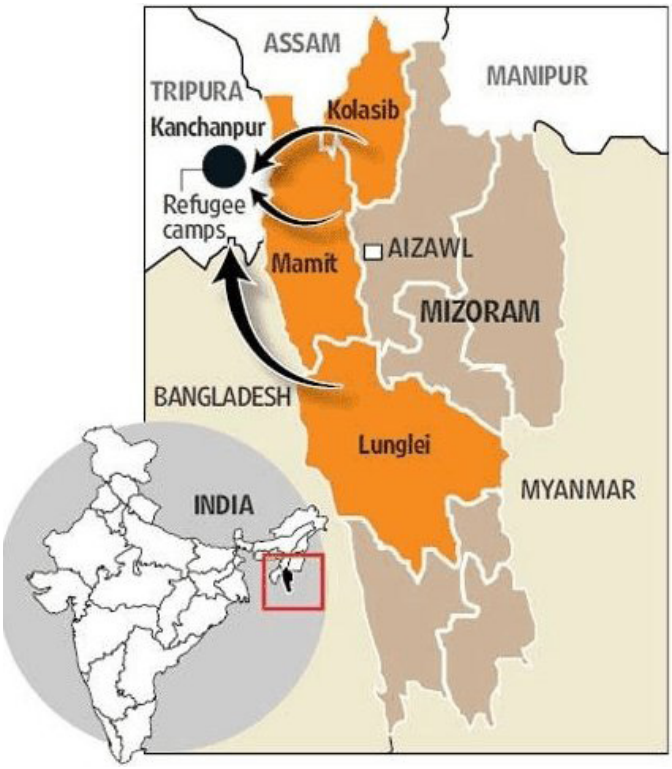

वित्तीय निवेश:

- इस पुनर्वास योजना में त्रिपुरा में 11 नए ब्रू प्रवासी गांवों की स्थापना शामिल है, जिससे लगभग 40,000 लोगों को लाभ होगा। इस पुनर्वास कार्यक्रम के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ब्रू समुदाय को अपने जीवन को फिर

से बेहतर करने के लिए आवश्यक सहायता मिले।

ब्रू समुदाय हेतु प्रमुख सहायता और सुविधाएँ :

- पुनर्वास के तहत, स्वच्छ पेयजल, सौर स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य सेवा केंद्र और स्कूल जैसी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, आय के अवसर प्रदान करने के लिए सहकारी समितियाँ स्थापित की गई हैं। हर परिवार को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मासिक वजीफा भी दिया गया है।

परिवारों को वित्तीय सहायता:

- पुनर्वास प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए, प्रत्येक ब्रू परिवार को घर निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये और वित्तीय जमा के रूप में 4 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। परिवारों को संक्रमण काल के दौरान आय का स्थिर स्रोत सुनिश्चित करने हेतु 24 महीने तक 5,000 रुपये का मासिक वजीफा भी दिया जाएगा।

महाराष्ट्र कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2024

सन्दर्भ: हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने महाराष्ट्र कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2024 पारित किया, जोकि राज्य की जेल प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र द्वारा प्रदान किए गए मॉडल जेल विधेयक, 2023 के आधार पर नया अधिनियम जेल प्रबंधन, कैदी कल्याण और कर्मचारियों की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

- महाराष्ट्र कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2024 में राज्य की जेल प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कई प्रावधान शामिल हैं। उल्लेखनीय प्रावधानों में शामिल हैं:
  - मुंबई और पुणे में उच्च सुरक्षा वाली जेलों और हिरासत केंद्रों की स्थापना।
  - खुली जेलों और अस्थायी जेलों सहित विशेष जेलों का निर्माण।
  - इन सुधारों के प्रबंधन के लिए जेल एवं सुधारात्मक जेल बल के गठन का प्रावधान।
  - कैदियों और जेल कर्मचारियों दोनों के लिए कल्याण निधि, ताकि उनके रहने और काम करने की स्थिति में सुधार हो सके।

खुली जेलों और खुली कॉलोनियों का महत्व:

- अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में से एक है खुली जेलों और खुली कॉलोनियों का निर्माण। ये सुविधाएँ पारंपरिक जेलों की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक हैं, जोकि पूर्व कैदियों को समाज में फिर से एकीकृत करने में मदद करने के उद्देश्य से पुनर्वास वातावरण प्रदान करती हैं। खुली जेलें कैदियों को उत्पादक कार्य में संलग्न होने और जीवन कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करती हैं, जिससे रिहाई के बाद दोबारा अपराध करने की संभावना कम हो जाती है।

कैदियों और कर्मचारियों के लिए कल्याण निधि:

- यह अधिनियम कैदियों और जेल कर्मचारियों दोनों के लिए कल्याण निधि की स्थापना करता है। कैदियों के लिए यह निधि उनके रिहाई के बाद पुनर्वास और समाज में पुन: एकीकरण में मदद करेगी। वहीं, जेल कर्मचारियों के लिए इसका उद्देश्य कार्य स्थितियों में सुधार करना और उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को समर्थन प्रदान करना है। इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि समाज में सुधार के लिए न केवल कैदियों के कल्याण, बल्कि उनके देखभाल और निगरानी में लगे कर्मचारियों के कल्याण भी महत्वपूर्ण है।

जमानत समस्या और भीड़भाड़ का समाधान:

- अत्यधिक भीड़भाड़ का मुद्दा, विशेष रूप से वह स्थिति जहाँ 1,600 से अधिक आरोपी व्यक्ति जमानत मिलने के बावजूद जेल में बंद हैं, इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये व्यक्ति अक्सर आवश्यक जमानत बांड का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं।
- अधिनियम जमानत प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके और न्याय तक पहुँच को सरल बनाकर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, पुणे में नई उच्च सुरक्षा सुविधाओं और दो मंजिला जेल के निर्माण के साथ, इसका उद्देश्य अत्यधिक भीड़भाड़ की समस्या को कम करना और कैदियों एवं कर्मचारियों दोनों के लिए स्थितियों में सुधार करना है।

राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप:

- महाराष्ट्र कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2024 केंद्र के आदर्श कारागार विधेयक, 2023 के अनुरूप है, जोकि यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के जेल सुधार राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों। यह समन्वय कैदियों के कल्याण में सुधार, भीड़भाड़ को कम करने और पुनर्वास प्रयासों को बढ़ाने पर केंद्रित है, जो महाराष्ट्र में एक अधिक मानवीय और प्रभावी जेल प्रणाली को साकार करने में योगदान करता है।

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

26 December 2024

पॉवर पैक्ड न्यूज

भारत पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा

- भारत 2025 की दूसरी छमाही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह आयोजन राइफल, पिस्टल और शॉटगन के लिए दुनिया की शीर्ष जूनियर निशानेबाजी प्रतियोगिता है।
- इस आयोजन के लिए राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) को मेजबानी का अधिकार दिया गया है।
- यह भारत में आयोजित होने वाली नौवीं शीर्ष स्तरीय निशानेबाजी चैंपियनशिप होगी। इससे पहले भारत ने छह आईएसएसएफ प्रतियोगिताओं और महाद्वीपीय चैंपियनशिप की मेजबानी की है।
- 2023 में भोपाल में आयोजित सीनियर विश्व कप भी भारत के सफल आयोजनों में से एक था। यह आयोजन भारतीय निशानेबाजी खेलों के प्रति वैश्विक विश्वास को मजबूत करता है।

निसान और होंडा का विलय

- जापानी ऑटो कंपनियां निसान और होंडा ने अगस्त 2026 तक अपने विलय की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य भविष्य के उत्पादों का सह-विकास और मोबिलिटी सेक्टर में एक मजबूत वैश्विक उपस्थिति बनाना है।
- दोनों कंपनियां एक संयुक्त होल्डिंग कंपनी के तहत काम करेंगी। यह संयुक्त कंपनी 30 ट्रिलियन येन से अधिक की बिक्री और 3 ट्रिलियन येन का परिचालन लाभ हासिल करने का लक्ष्य रखती है।
- चीन और अमेरिका में बिक्री में गिरावट के कारण, निसान ने लागत कटौती के लिए कदम उठाए हैं। जून 2025 तक इस साझेदारी की सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। यह सहयोग जापानी ऑटो उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी

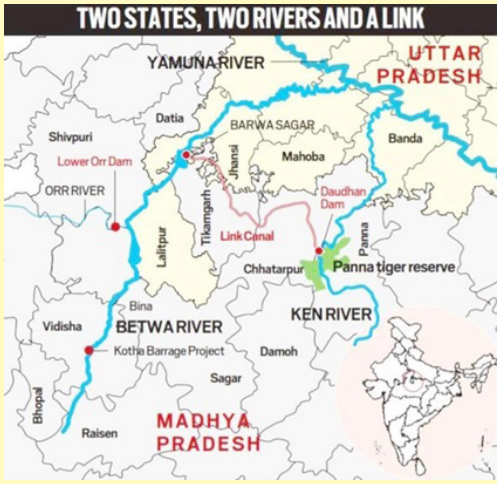

- हाल ही में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। यह राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत पहली पहल है।
- परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के 10 और उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में लगभग 65 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। इस पर अनुमानित लागत 44,605 करोड़ रुपये है।
- यह परियोजना लगभग 2,000 गांवों के 7.18 लाख किसान परिवारों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी और 103 मेगावाट जल विद्युत तथा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगी।
- केन नदी पर पन्ना टाइगर रिजर्व में 77 मीटर ऊंचा और 2.13 किलोमीटर लंबा दौधन बांध बनाया जाएगा।
- बांध से 2,853 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी संग्रहित कर 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के जरिए बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा।
- यह परियोजना केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सहयोग का अनूठा उदाहरण है। इसके माध्यम से दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल समस्याओं का समाधान होगा।

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) में ऋण समझौते पर हस्ताक्षर

- भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 20 दिसंबर 2024 को 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह ऋण भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के तहत हरित और टिकाऊ अवसंरचना परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए प्रदान किया गया है। यह धनराशि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को दी जाएगी।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- यह परियोजना IIFCL की संस्थागत क्षमता को मजबूत करेगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में हरित और टिकाऊ प्रथाओं को शामिल किया जा सके।
- परियोजना के तहत एक संधारणीयता इकाई, पर्यावरणीय संधारणीयता ढांचा और स्कोरिंग प्रणाली विकसित की जाएगी, जो परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्थिरता का मूल्यांकन करेगी।
- यह ऋण पर्यावरणीय दृष्टिकोण से टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने और भारत में हरित अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।